

FORM NO III



फर्द अहकाम


(नियम 20)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी / उपखण्ड मजिस्ट्रेट निवाइ टोंक

मान कमलेश बनाम तहसीलदार
दमा नम्बर 582/2025

किस्म मुकदमा : प्रा0पत्र धारा 128

<p>तारीख हुकम</p>	<p>हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए</p>
<p>10.2025</p>	<p>पत्रावली अधिवक्ता श्री नरेन्द्र कुमार जाट द्वारा पेश की गयी। कार्यालय से रिपोर्ट होकर प्राप्त हुई। अवलोकन किया गया। दर्ज रजि0 हो। तलबी पेश शुदा तलवाने पर जरिये रजिस्टर्ड एडी की जाकर पत्रावली आगामी पेशी दिनांक 17/10/25 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  उपखण्ड अधिकारी निवाइ (टोंक) </p> <p>17/10/25</p> <p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता जमीन व पेशीकरण (तलब) उपखण्ड निवाइ/पेशीकरण करण से प्राप्त पत्रावली पेश न करे। तलब करण का रिपोर्ट 01/10/25 को प्राप्त। पत्रावली पेशीकरण करण की सुनिश्चिता। अतः जमीन व पत्रावली अधिवक्ता - धारा 128 पर तलब करण 01/10/25 को रिपोर्ट उपखण्ड निवाइ/पेशीकरण करण प्रकृत जमीन व पत्रावली पेशीकरण - शुद्ध पेश, तलब करण व जमीन व पत्रावली पेशीकरण करण</p> <p style="text-align: right;">  उपखण्ड अधिकारी निवाइ (टोंक) </p>	
<p>18/11/25</p>	<p>पत्रावली पेशीकरण शुद्ध पेश करण</p>	


 उपखण्ड अधिकारी
 निवाइ (टोंक)

P.T. 81

निवाइ 10/11/25

ज जहाज डिपॉजिट रिपोर्ट 15/11/25
 सरफरुज के इस प्रकार है, कि धनापली
 के आवालाग के बाहिल रिपोर्ट डिपॉजिट
 17/10/25 की अनुसूचना के तहत 16/11/25
 रिपोर्ट के अनुसार हुक्म 21/2025/17022
 डिपॉजिट 7/11/2025 हाथ पं. 25/2025 के हुक्म
 कार्रगीरी की चीज जहाज की गिरी लय
 डिपॉजिट 12/11/25 के अनुसार की
 वालग करत हुक्म अर्थात् रिपोर्ट
 01/11/25 प्रामाणिकता के अन्तर्गत कार्रगीरी
 अथवा नश्व पदार्थ है लेकिन (सन्निध) की लीन
 ज लगेत हुक्म अथवा प्रमाण के अन्तर्गत
 अथवा अथवा अथवा है अथवा अथवा 257/584,
 870/583, 869/583, 859/584, 858/584 के
 अथवा अथवा अथवा अथवा अथवा अथवा
 अथवा अथवा अथवा अथवा अथवा अथवा
 अथवा अथवा अथवा अथवा अथवा अथवा

वाज्राय अन्तर्गत की चीज
 ज डिपॉजिट जहाज के अथवा
 अथवा अथवा अथवा अथवा अथवा अथवा
 अथवा अथवा अथवा अथवा अथवा अथवा
 अथवा अथवा अथवा अथवा अथवा अथवा
 अथवा अथवा अथवा अथवा अथवा अथवा
 अथवा अथवा अथवा अथवा अथवा अथवा
 अथवा अथवा अथवा अथवा अथवा अथवा
 अथवा अथवा अथवा अथवा अथवा अथवा
 अथवा अथवा अथवा अथवा अथवा अथवा
 अथवा अथवा अथवा अथवा अथवा अथवा
 अथवा अथवा अथवा अथवा अथवा अथवा

अन्तर्गत अथवा
 अथवा (अथवा)
 P.T. 01

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

की मुहूर्त पर सीगर (आरिथी) का मन्तव्य
है सभी स्थिति में बाहराका कारागिर
पर पत्थरगरी छिप जाता इन्फिच
सलीका नहीं होता है

अध: पत्रावली में सडिला
निर्णय दिनांक 17/10/2025 पर अफास्ता
छिप जाता है इन्फा निर्णय की
अनुपालना के की गई समस्त
कार्यवाही निरस्ता समझी गई है।
पत्रावली साखिला हस्तार है

उपखण्ड अधिकारी
निवाड़ (टोंक)